सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 538 दर्ज तिथिः–26.12.2024

1. हेमा पुत्र रामा
2. हनुमान पुत्र रामा
3. तुलछी पत्नी रामा
   जाति जाट साकिन बारूड़ी पटवार मण्डल भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

............................वादीगण

बनाम

1. दानाराम पुत्र भारताराम
   जाति रबारी साकिन जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तसहील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुड़ामालानी।
3. पी0डब्ल्यू0डी0 ठेकेदार मेसर्स चारण कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रो0 उगमसिंह फर्म कार्यरत ग्राम सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

..........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः–श्री हरीश चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राज0 काश्त0 अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–22.12.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–
   - वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488 / 216 / 15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489 / 216 / 0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार मण्डल भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी पर वादी की रहवासी ढाणी, टांके, पशुबाड़े आदि बने हुए हैं। वादीगण की उक्त आराजी के सेढ़ासेढ़ पड़ोस में प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 64/10.9589 है0 मौजा जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान अवस्थित है।

- कि वादीगण की आराजी मूल खसरा संख्या 216 में से हाजा न्यायालय के प्रकरण संख्या 8/2021 बअनवान सरकार बनाम तुलसी वगैरा अन्तर्गत धारा–136 द्वारा खसरा संख्या 489/216 रकबा 0.2104 है0 गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया गया जो रतनपुरा से गुडाहेमा संपर्क सड़क है। जो वर्तमान में ग्रेवल सड़क है जिसका डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
- कि प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या 64 व वादीगण के खेत खसरा संख्या 488/216 के मध्य रास्ता जो वक्त सेटलमेंट से चला आ रहा है। जिसको तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अंतर्गत नाप तोल पश्चात मूल खसरा से अलग कर खसरा संख्या 489/216 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया।
- कि प्रतिवादीगण की सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार से मिलीभगत के कारण खसरा संख्या 489/216 पर सड़क का निर्माण नहीं कर वादीगण के खेत खसरा 488/216 की माठ को तोड़कर एवं खेत के दो टुकड़े करने की नियत से भारी मशीनरी से निर्माण करने पर उतारू है।
- प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बाद विधिवत तामिल बाद असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता जवाब मय आपत्तिया पेश कर निवेदन किया–

- कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी खेत खसरा सख्ंया 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 भूमि पर वादीगण द्वारा 05 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर दिया जिसे बेदखल किये जाने हेतु हाजा न्यायालय में वादीगण के विरूद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम–1955 की धारा–183 के तहत वाद प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार वादीगण अपना अवैध कब्जा पुख्ता करने के उद्देश्य से उक्त वाद पेश किया है जो पोषणीय नहीं होने के कारण काबिले खारिज है।
- कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी के खसरा संख्या 63 व 64 की भूमि के 05 बीघा पर एवं कटाण रास्ता खसरा संख्या 489/216 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर कटाण रास्ते को प्रतिवादी के खेत में निर्माण करने पर उतारू है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी अधिकारों से वंचित करना चाहते है इसलिए वाद चलने योग्य नही होने से काबिले खारिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगण द्वारा उक्त दावा के साथ में गलत परिशिष्ट पेश कर न्यायालय के सामने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये

   1. *आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वाद पत्र वर्णित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।*
   ....वादीगण

   2. *आया प्रतिवादीगण का अपनी खातेदारी आराजी पर वक्त बंदोबस्त के समय से मौके पर काबिज काश्त होने व रहवास करने के कारण दावा वादी सारहीन व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल–ए–खारिज है।*
   .... प्रतिवादी

   3. *अन्य दादरसी*
   ....उभय पक्षकारान

4. तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। वादी द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये एवं प्रतिवादी द्वारा भी कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पत्रावली बहस में नियत की गई।

5. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने जिरह विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे। दौराने जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 जवाब एवं आपत्तियों में वर्णित अभिकथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वाद झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तनकी संख्या 01 प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> > *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> > *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

		अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

		3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 को साबित करने में वादीगण सफल रहे है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

10. प्रकरण में तनकी संख्या 02 पर विश्लेषण अपेक्षित है। प्रकरण में वादी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। जिसकों साबित करने में वादी सफल रहा है। प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी खेत खसरा सख्या 63/0.0486 है0 व 64/10.9589 है0 भूमि पर वादीगण द्वारा 05 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर दिया जिसे बेदखल किये जाने हेतु हाजा न्यायालय में वादीगण के विरूद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम—1955 की धारा—183 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

तहत वाद प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकार वादीगण अपना अवैध कब्जा पुख्ता करने के उद्देश्य से उक्त वाद पेश किया है जो पोषणीय नहीं होने के कारण काबिले खारिज है। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जहां एक तरफ वादी अपनी खातेदारी आराजी पर विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है। वही दूसरी तरफ प्रतिवादी अपनी खातेदारी आराजी एवं समर्पित रास्ते पर वादी के अवैध कब्जे को हटवाने बाबत अनुतोष चाहता है। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के तहत केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी आराजी पर ही स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस अनुतोष के तहत किसी अन्य की आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में तनकी संख्या 02 को प्रतिवादी द्वारा पृथक से दावा प्रस्तुत कर साबित करना अपेक्षित है। इस तनकी के माध्यम से वादी को अपनी खातेदारी आराजी की सीमा तक स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में वादी की राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शा में दर्ज व अंकित रकबा व नक्शा अनुसार केवल अपनी खातेदारी आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारुड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/538 दर्ज तिथिः–26.12.2024

1. हेमा पुत्र रामा
2. हनुमान पुत्र रामा
3. तुलछी पत्नी रामा

जाति जाट साकिन बारूड़ी पटवार मण्डल भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..........................वादीगण

बनाम

1. दानाराम पुत्र भारताराम
   जाति रबारी साकिन जूड़ी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तसहील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गुड़ामालानी।
3. पी0डब्ल्यू0डी0 ठेकेदार मॅसर्स चारण कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रो0 उगमसिंह फर्म कार्यरत ग्राम सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

........................प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीगणः–श्री हरीश चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राज0 काश्त0 अधि0–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 488/216/15.0300 है0 एवं खसरा संख्या 489/216/0.2104 है0 मौजा बारूड़ी पटवार हल्का भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested

में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.25 17:38:40 IST
Reason: SelfAttested